191

सं. 1/37/2016-जीवनांक (सीआरएस)-406

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

वी.एस.डिवीजन, पश्चिमी खण्ड-I, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

V.S. Division, West Block –I, R.K. Puram, New Delhi – 110066

टेली. नं.011-26100678 फैक्स नं.011-26175746 E-mail–rohitb.rgi@nic.in

दिनांक 15.09.2016

सेवा में,

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु)
तथा निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी,
राजस्थान, योजना भवन,
नई हाईकोर्ट बिल्डिंग के पीछे,
तिलक मार्ग, सी-स्कीम,
जयपुर- 302005

विषय : जन्म प्रमाण पत्र में उर्फ हटाने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ-13/1/(3)/31/वीएस/डीईएस/2012/73390/I/6738 दिनांक 9.9.16 का संदर्भ ले । इस संबंध में सूचित किया जाता है कि जन्म एवं मृत्यु रिकार्ड में रजिस्ट्रेशन के समय अथवा रजिस्ट्रेशन के बाद उर्फ लगाने की अनुमति केन्द्रीय विधि मंत्रालय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर दी गई थी । परन्तु एक बार उर्फ लगाने के बाद उसे पुन: हटाने के संबंध में विधि मंत्रालय द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । फिर भी इस तरह के अन्य मामलों में पूर्व में इस कार्यालय द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया था कि किसी घटना के रजिस्ट्रेशन के बाद यदि उसमें उर्फ लगाया गया है तो उर्फ लगाने के बाद का जो नाम लिखा गया है उसे तो हटाया जा सकता है परन्तु मूल नाम को नहीं हटाया जा सकता ।

2. आप द्वारा भेजे गए संदर्भित मामले में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जन्म रिकार्ड में माता का मूल नाम "लखविन्दर कौर है अथवा परमजीत कौर", साथ ही रजिस्ट्रेशन के समय यदि उर्फ लगाकर नाम लिखा गया है तो मूल नाम का निर्धारण और भी मुश्किल हो जाता है । इसका निर्णय तो संबंधित रजिस्ट्रार ही साक्ष्यों की जांच करके अपने विवेक से कर सकता है । अत: आपसे अनुरोध है कि इसका स्पष्टीकरण भेजें कि मूल नाम कौन सा है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि किस आधार पर मूल नाम का निर्धारण किया गया हैं । इस स्पष्टीकरण के बाद ही कोई उचित निर्णय लिया जा सकता है ।

भवदीय

(रोहित भारद्वाज)
उप महारजिस्ट्रार (सीआरएस)

प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें ।
"Ensure Registration of Every Birth and Death"